

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

रांची/दिनांक...16/2/16....

संख्या:-8/वि.1-29/2011.....237.../निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रावधान को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत निदेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है-

1. अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को है। पड़ोस से तात्पर्य है विद्यालय के एक कि.मी. दूरी सीमा के अधीन वास करने वाले बच्चे। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं तो विद्यालय के विस्तारित सीमा अर्थात् तीन कि.मी. की दूरी सीमा में वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा। फिर भी यदि सीट खाली रह जाता है तो छः कि.मी. दूरी सीमा तक वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा।

2. अभिवंचित समूह से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चे।

3. कमजोर वर्ग से तात्पर्य है ऐसे बच्चे, जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हों और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु. 72,000/- से कम हो।

4. अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन में प्राथमिकता वैसे बच्चों को दी जायेगी, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु. 72,000/- से कम हो।

5. विद्यालय के पास-पड़ोस की दूरी सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज नामांकन हेतु मान्य होंगे:-

- (i) आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र
- (ii) ग्रामीण क्षेत्र का जाबें कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

1056
148

16

281
17/2/16

(iii) राशन कार्ड/झाड़विंग लायसेन्स/बिजली बिल जिसमें पालक/ अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।

6. अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं पारिवारिक आय के प्रमाण स्वरूप निम्नांकित दस्तावेज मान्य होंगे:-

- (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख हो।
- (ii) 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड/असैनिक शल्य चिकित्सक, सदर अस्पताल/चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र।
- (iii) संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र।

7. नर्सरी/एल.के.जी. में नामांकन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा क्रमशः 3 वर्ष 6 माह से अधिक 4 वर्ष 6 माह से कम तथा एवं कक्षा एक में नामांकन हेतु उम्र सीमा 5 वर्ष 6 माह से अधिक एवं 7 वर्ष से कम होगी।

8. गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों द्वारा हस्तलिखित या टाइप किया हुआ आवेदन-पत्र सीधे विद्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा किया जायेगा। विद्यालय में आवेदन जमा करने में कठिनाई होने पर इसे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में अंतिम तिथि से पूर्व जमा किया जा सकेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

9. शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पर नामांकन हेतु प्रवेश कार्यक्रम निम्नवत् है:-

1.	नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत एवं आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तिथि-	23.02.2016
2.	विद्यालय में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि-	03.03.2016
3.	लाटरी द्वारा चयन के लिए निर्धारित तिथि-	08.03.2016
4.	चयनित बच्चों की सूची प्रकाशित करने की तिथि-	10.03.2016
5.	नामांकित बच्चों की सूची प्रकाशित करने की तिथि-	19.03.2016
6.	खाली सीट को भरने हेतु दूसरी सूची प्रकाशित करने की तिथि-	26.03.2016
7.	प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि-	31.03.2016

10. यदि किन्ही कारणों से प्रथम चरण के नामांकन के पश्चात् सीट खाली रह जाता है तो संबंधित जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अगले चरण के नामांकन प्रक्रिया का कैलेण्डर निर्धारित कर विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा एवं आमजनों की जानकारी हेतु इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।

11. अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय में प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग वर्जित हैं, अतः प्राप्त आवेदनों में से रैंडम पद्धति से ही प्रवेश किया जा सकेगा। यदि निर्धारित सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं तो सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश मिलेगा। निर्धारित सीट से अधिक आवेदन हैं तो लाटरी द्वारा नाम निकाल कर प्रवेश दिया जाएगा। लाटरी की पूर्व निर्धारित तिथि की सूचना पालकों को दी जाएगी। जिला शिक्षा अधीक्षक उक्त तिथि को प्रत्येक विद्यालय हेतु पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे। पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ही लाटरी द्वारा नाम निकाला जायेगा।

12. नामांकन हेतु चयनित बच्चों की सूची विद्यालय द्वारा सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ विद्यालय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और सूची की प्रति जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध कराई जायेगी।

13. विद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधीक्षक को वार्षिक ब्योरा समर्पित किया जायेगा और इसके आधार पर विद्यालय को राशि की प्रतिपूर्ति पर विचार किया जायेगा। विहित प्रपत्र अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

14. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीट पर अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के अनुश्रवण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक के अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी एवं निजी विद्यालय के एक प्राचार्य सदस्य होंगे।

15. नामांकन प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों के सहायता हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किसी विद्यालय/कार्यालय में एक सहायता केन्द्र संचालित किया जायेगा।

16. गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में शेष 75 प्रतिशत सीटों में भी प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग नहीं होगी। इन बच्चों के लिए प्रवेश के लिए निजी विद्यालय अपनी पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा करेंगे और इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को देंगे। इसी प्रक्रिया के तहत बच्चों को प्रवेश मिलेगा। जिन विद्यालयों की अपनी वेबसाइट है वे प्रवेश की नियमावली वेबसाइट पर भी

प्रदर्शित करेंगे। निजी विद्यालय द्वारा प्रवेश के लिये लाटरी निकालने की निर्धारित तिथि की जानकारी बच्चों के पालकों/अभिभावकों को भी दी जायेगी।

17. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(आराधना पटनायक)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-8/वि.1-29/2011.....237/

राँची, दिनांक.....16/2/16

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अखिलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।



(आराधना पटनायक)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-8/वि.1-29/2011.....237/

राँची, दिनांक.....16/2/16

प्रतिलिपि : झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, झारखण्ड/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड परियोजना परिषद्, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(आराधना पटनायक)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-8/वि.1-29/2011.....237/

राँची, दिनांक.....16/2/16

प्रतिलिपि : महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(आराधना पटनायक)

सरकार के सचिव।